



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साप्ताहिक प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 16, गुरुवार, शके 1937-अक्टूबर 8, 2015
Asvina 16, Thursday, Saka 1937-October 8, 2015

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(मुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 8, 2015

संख्या प. 2 (40) विधि/2/2015-राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक, 28)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 को प्राप्त हुई]

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015 है।

(2) यह 5 जून, 2015 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1994 के राजस्थान अधिनियम सं. 13 में अध्याय-4-क का अन्तःस्थापन.- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) के विद्यमान अध्याय-4 के पश्चात् और विद्यमान अध्याय-5 के पूर्व निम्नलिखित नया अध्याय अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"अध्याय-4-क

किसी गांव के आबादी क्षेत्र का विनियमन

107-क. भूमि के उपयोग के परिवर्तन पर निर्वन्धन और भूमि के उपयोग का परिवर्तन अनुज्ञात करने की राज्य सरकार की शक्ति.- (1) कोई भी

व्यक्ति किसी गांव के किसी भी आबादी क्षेत्र में स्थित किसी भूमि का उपयोग, उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए ऐसी भूमि राज्य सरकार, किसी पंचायत, किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय या प्राधिकारी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अनुसार किसी व्यक्ति को मूलतः आबंधित या विक्रीत की गयी थी, या किसी विकास योजना, जहां कहीं भी यह प्रवर्तन में हो, में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से अन्यथा नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा।

(2) ऐसी किसी भूमि के मामले में जो यथापूर्वोक्त रूप से आबंधित या विक्रीत नहीं की गयी है और उप-धारा (1) के अन्तर्गत नहीं आती है, कोई भी व्यक्ति, किसी गांव के आबादी क्षेत्र में स्थित ऐसी किसी भूमि का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा या करने की अनुज्ञा नहीं देगा जिसके लिए ऐसी भूमि का उपयोग राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 28) के प्रारंभ पर या उसके पूर्व किया जा रहा था।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी, राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी या प्राधिकारी किसी ऐसी भूमि के स्वामी या धारक को उसके उपयोग में परिवर्तन करने के लिए, यदि लोकहित में ऐसा करने का उसका समाधान हो जाता है तो, ऐसी दरों पर संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर और पडोसियों से, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, आक्षेप आमंत्रित करने और उनको सुनने के पश्चात् उपयोग में निम्नलिखित परिवर्तनों के संबंध में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुज्ञा दे सकेगा, अर्थात्:-

- (i) आवासीय से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (ii) वाणिज्यिक से कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (iii) औद्योगिक से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (iv) सिनेमा से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (v) होटल से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (vi) पर्यटन से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन; या
- (vii) संस्थागत से वाणिज्यिक या कोई भी अन्य प्रयोजन;

परन्तु संपरिवर्तन प्रभार की दरें भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और भिन्न-भिन्न प्रयोजनों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेंगी।

(4) जहां राज्य सरकार या उप-धारा (3) के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसे इस धारा के अधीन अनुज्ञा या नियमितीकरण के लिए आवेदन करना चाहिए था, आवेदन नहीं किया है और ऐसी अनुज्ञा मंजूर की जा सकती है या भूमि के उपयोग का नियमितीकरण किया जा सकता है, तो वह सम्यक् नोटिस देने और पक्षकार या पक्षकारों को सुनने के पश्चात् संपरिवर्तन प्रभारों के अवधारण के लिए अग्रसर होगा और ऐसे प्रभार, जो विहित किये जायें, पंचायत को शोध्य हो जायेंगे और उप-धारा (6) के अधीन वसूलीय होंगे।

(5) इस प्रकार वसूल किये गये संपरिवर्तन प्रभार पंचायत की निधि में जमा किये जायेंगे।

(6) इस धारा के अधीन प्रभार, ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका उपयोग परिवर्तित किया गया है, ऐसे प्रभारों को संदत्त करने के दायी व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा, और भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

107-ब. भू-खण्डों के उप-विभाजन या पुनर्गठन के लिए अनुज्ञा चाहने हेतु आवश्यकता.- (1) कोई भी व्यक्ति, किसी गांव के आबादी क्षेत्र में स्थित भूमि के किसी भू-खण्ड का उप-विभाजन या पुनर्गठन, राज्य सरकार या इसके द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं करेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अनुज्ञा, ऐसी रीति से, ऐसे प्रभारों के संदाय पर, और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित किये जायें, मंजूर की जायेगी।

(3) इस धारा के अधीन वसूल किये गये प्रभार पंचायत की निधि में जमा किये जायेंगे।

(4) इस धारा के अधीन प्रभार, ऐसी भूमि के संबंध में, जिसका उप-विभाजन या पुनर्गठन अनुज्ञात किया गया है, ऐसे प्रभारों को संदत्त करने के दायी व्यक्ति के हित पर प्रथम प्रभार होगा, और भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूलीय होगा।

107-ग. कतिपय भूमियों के पट्टे की मंजूरी.- (1) कोई भी व्यक्ति जिसका किसी गांव के आबादी क्षेत्र के भीतर-भीतर किसी भी भूमि पर, राज्य सरकार या पंचायत या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये

किसी पट्टे, लीज या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा, विधिपूर्ण कब्जा है, ऐसी भूमि के संबंध में उस पंचायत से विहित रीति से पट्टा प्राप्त कर सकेगा।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन कोई आवेदन फाईल किया गया है, वहां पंचायत, जन सामान्य से विहित रीति से आक्षेप आमंत्रित करेगी और उन सभी व्यक्तियों को, जिन्होंने ऐसे आवेदन के विरुद्ध आक्षेप फाईल किये हैं, और आवेदक को विहित रीति से सुनेगी।

(3) यदि, उन व्यक्तियों को, जिन्होंने उप-धारा (2) के अधीन आक्षेप फाईल किये हैं, और आवेदक को सुनने के पश्चात् पंचायत का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक इस धारा के अधीन पट्टा प्राप्त करने का हकदार है तो वह आवेदक द्वारा ऐसी फीस या प्रभार, जो विहित किये जायें, संदत्त किये जाने पर, ऐसे व्यक्ति को विहित प्ररूप में और रीति से ऐसी भूमि का पट्टा मंजूर कर सकेगी।

(4) उप-धारा (3) के अधीन मंजूर किया गया पट्टा, उन सभी पसंविदाओं और विल्लंगमों के अध्यक्षीन होगा जो उस भूमि से संबंध थे और ऐसे पट्टे की मंजूरी के ठीक पहले विद्यमान थे।

107-घ. कतिपय भूमियों का व्ययन.- (1) कोई भी नजूल भूमि या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 92 के अधीन आबादी के विकास के लिए पृथक् रखी गयी भूमि उक्त अधिनियम की धारा 102-क के अधीन पंचायत के व्ययन पर रखी जाती है तो उस पंचायत द्वारा, ऐसी शर्तों और निबन्धनों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो राज्य सरकार समय-समय पर अधिकबिल करे, और ऐसी रीति से जो समय-समय पर विहित की जाये, व्ययनित की जायेगी।

(2) उप-धारा (1) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उक्त उप-धारा में निर्दिष्ट कोई भूमि या उसका कोई भी भाग, राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अध्यक्षीन रहते हुए, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जायें, व्ययनित किया जा सकेगा।

107-ड. आबंटन, विक्रय या अन्य अंतरण का किसी विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए होना.- राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम सं. 28) के प्रारंभ के पश्चात् किसी भी गांव के आबादी क्षेत्र में भूमि का प्रत्येक आबंटन, विक्रय या अन्य अंतरण विनिर्दिष्ट

उपयोग के लिए किया जायेगा और ऐसे उपयोग को स्पष्ट रूप से और सदैव, ऐसे आबंटन, विक्रय या अन्य अंतरण को साक्ष्यित करने वाले पट्टे या अन्य दस्तावेज में उल्लिखित किया जायेगा।

107-च. आबादी भूमि के अभिलेख का पंचायत द्वारा तैयार किया जाना और संधारित किया जाना.- प्रत्येक पंचायत, उस पंचायत क्षेत्र के भीतर-भीतर स्थित आबादी भूमि का अभिलेख ऐसी रीति से और ऐसे प्ररूप में तैयार और संधारित करेगी, जो विहित किया जाये।

107-छ. इस अध्याय का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम में अन्यत्र या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) या किसी भी अन्य राजस्थान विधि में किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध प्रभावी होंगे।

107-ज. व्यावृत्ति.- इस अध्याय में की कोई भी बात राजस्थान अग्निधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) की धारा 31 के द्वारा अग्निधरियों को किसी गांव के आबादी क्षेत्र में प्रभार से स्वतंत्र आवास गृह के लिए स्थान रखने के प्रदत्त अधिकार को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगी, नहीं छीनेगी या कम नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए-

(i) "विकास योजना" से कोई स्थानिक योजना, जिसे चाहे किसी भी नाम से जाना जाये, अभिप्रेत है;

(ii) "आबादी", "आबादी क्षेत्र" या "आबादी भूमि" का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 103 के खण्ड (ख) में समनुदेशित किया गया है, और

(iii) "नजूल भूमि" का वही अर्थ होगा जो इसे राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 3 के खण्ड (ख) में समनुदेशित किया गया है।

3. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अध्यादेश के द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या

किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

दीपक माहेश्वरी,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION**

Jaipur, October 8, 2015

No. F. 2 (40) Vidhi/2/2015.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of Rajasthan Panchayati Raj (Triteeya Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (2015 Ka Adhiniyam Sankhyank 28):-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN PANCHAYATI RAJ (THIRD
AMENDMENT) ACT, 2015**

(Act No. 28 of 2015)

[Received the assent of the Governor on the 7th day of October, 2015]

An

Act

further to amend the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-sixth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Panchayati Raj (Third Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 5th June, 2015.

2. Insertion of Chapter-IV-A, Rajasthan Act No. 13 of 1994.- After the existing Chapter-IV and before the existing